[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना संख्या 39/2021- सीमाशुल्क (गै.टै.)

नयी दिल्ली, दिनांक 31 मार्च, 2021

सा.का.नि (अ).- सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 30, 30क, 41, 41क, 53, 54, 56, धारा 98 की उपधारा (3) और धारा 158 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 157 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड, एतदद्वारा, सी कार्गो मेनिफेस्ट एंड ट्रांशिपमेंट रेगुलेशन्स, 2018 में और आगे भी संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, यथा: -

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ. - (1) इन विनियमों को सी कार्गो मेनिफेस्ट एंड ट्रांशिपमेंट (अमेंडमेंट) रेगुलेशन्स, 2021 कहा जाएगा।

   (2) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. उक्त विनियमों में, विनियम 15 में;

   (क) उपविनियम (2) में, शब्द, अंक और अक्षर "30 सितम्बर, 2020 तक" के स्थान पर शब्द, अंक और अक्षर " 15 अप्रैल, 2021 तक" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. स. 450/58/2015- सीमाशुल्क IV (पार्ट)]

आर. आनंद

(आनंद राधाकृष्णन)

उप सचिव (सीमाशुल्क)

टिप्पणी: इस प्रधान विनियमावली को सा.का.नि. 448 (अ), दिनांक 11 मई, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड (3), उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमे अंतिम बार अधिसूचना संख्या 94/2020-सीमाशुल्क (गै. टै.), दिनांक 30 सितम्बर, 2020, सा.का. नि. 600 (अ), दिनांक 30 सितम्बर, 2020 के तहत, के द्वारा संशोधन किया गया था।